Index No. 108/15

Bio-metric covering letter

**IMPORTANT**

**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH**
**KRISHI BHAWAN: NEW DELHI**

F.No.Admn./8-3/2014-WS(Vol.II) Dated the 30th June'2015

**ENDORSEMENT**

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, Government of India, New Delhi has issued Office Memorandum No.11013/9/2014-Estt.A-III dated 22.6.2015 regarding observance of punctuality in Government Offices. A copy of the above O.M. issued by Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training is enclosed for information, guidance and strict compliance.

( S.K. Behera )
Deputy Secretary (TS&WS)

Distribution:

1. All Officers/Sections of DARE/ICAR Headquarters at Krishi Bhawan/Krishi Anusandhan Bhawan-I/II/NASC Complex, New Delhi.
2. Director (DARE)/US (Estt.), DARE.
3. Sr. Director (Admn.), ICAR
4. Secretary, ASRB, Pusa, New Delhi.
5. Director (Per), ICAR
6. Under Secretary (Admn.)/(Per.)/(TS), ICAR.
7. ISO, DKMA for placing this O.M. on ICAR's website.

3RO.166(K)

534

mm Rama Rao
US
23040264

No. 11013/9/2014-Estt.A-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment A-III Desk
*****

North Block, New Delhi – 110001
Dated June 22nd, 2015

**OFFICE MEMORANDUM**

Subject: Observance of punctuality in Government Offices.

Instructions have been issued from time to time with regard to the need to observe punctuality by Government servants. Responsibility for ensuring punctuality in respect of their employees rests within Ministries/ Departments/ Offices.

2. The decision to introduce AADHAR enabled Bio-metric Attendance System (AEBAS) in Central Government offices, including attached/ sub-ordinate offices, to replace the manual system of marking of attendance to ensure punctuality is to be implemented in all Ministries/ Departments. This Department vide O.M. of even no. dated 21.11.2014 and 28.01.2015, while recognizing that the Biometric Attendance System is only an enabling platform had, inter-alia, stated that there was no change in the instructions relating to office hours, late attendance etc.

3. In this connection attention is invited to Rule 3(1)(ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964 which stipulates that every Government servant shall at all times maintain devotion to duty. Habitual late attendance is viewed as conduct unbecoming of a Government servant and disciplinary action may be taken against such a Government servant. It is also added that punctuality in attendance is to be observed by Government servants at all levels.

4. It is also requested that the necessary directions may be issued to all employees to mark their attendance in BAS portal on regular basis.

(Mukesh Chaturvedi)
Director (Establishment)
Tel: 23093176

To:

1. All Ministries / Departments of Government of India.
2. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
3. Union Public Service Commission, New Delhi.
4. Central Vigilance Commission, New Delhi.
5. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
6. All Union Territories Administration.
7. Lok Sabha / Rajya Sabha Secretariat
8. All attached and subordinate Offices of Ministry of Personnel, PG & Pensions.
9. NIC, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi (for uploading the same on the website of this Ministry under the Head OMs & Orders → Establishment → Conduct Rules)

Sh S.K.
25-6-15

महत्वपूर्ण


# भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001


फा. सं. प्रशा./8–3/2014–डब्ल्यू एस (खण्ड–II) दिनांक 30 जून, 2015

## पृष्ठांकन

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने सरकारी कार्यालयों में समय–पाबन्दी का पालन करने के बारे में कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014–स्थापना ए–III, दिनांक 22.06.2015 जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए संलग्न है।

स.कु.बेहेरा
(एस.के.बेहेरा)
उप सचिव (टी.एस.एण्ड डब्ल्यू एस)

वितरण:–

1. कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन–I/II/एनएएससी काम्प्लैक्स, नई दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
2. निदेशक (डेयर)/अवर सचिव (स्थापना) डेयर।
3. वरिष्ठ निदेशक (प्रशासन) भा.कृ.अनु. परिषद।
4. सचिव, एएसआरबी, पूसा, नई दिल्ली।
5. निदेशक (कार्मिक) भा.कृ.अनु. परिषद।
6. अवर सचिव (प्रशासन)/(कार्मिक)/(टीएस), भा.कृ.अनु. परिषद।
7. आई.एस.ओ., डी.के.एम.ए. को इस कार्यालय ज्ञापन की भा.कृ.अनु. परिषद की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

कृ० पृ० उ०

सं. 11013/9/2014–स्थापना–ए–III
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना–ए– III डेस्क
*****

**कार्यालय ज्ञापन**

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 110001
दिनांक 22 जून, 2015

**विषयः– सरकारी कार्यालयों में समय–पाबंदी का अनुपालन।**

सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय–पाबंदी का अनुपालन करने के संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। अपने कर्मचारियों में समय–पाबंदी सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को सौंपी गई है।

2. समय–पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने की मैनुअल प्रणाली के स्थान पर आधार समर्थित बायो–मैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) शुरू करने का निर्णय सभी मंत्रालयों/विभागें में कार्यान्वित किया गया। बायो–मैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को एकमात्र समाधान मानते हुए इस विभाग ने दिनांक 21.11.2014 तथा 28.01.2015 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ यह स्पष्ट किया है कि कार्यालयी घंटों, देरी से उपस्थिति आदि से संबंधित निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (I) (ii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह मांग की गयी है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय कर्तव्य परायणता बनाए रखेगा। सरकारी कर्मचारी का आदतन देर से आना अशोभनीय आचरण समझा जाता है और ऐसे सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर उपस्थिति में समय–पाबंदी का अनुपालन किया जाए।

4. यह भी अनुरोध है कि सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर बीएएस पोर्टल में अपनी उपस्थिति लगाने के आवश्यक निर्देश जारी किए जायें।

ह0/–
(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाषः 23093176

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली।
6. सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के, प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (इस कार्यालय ज्ञापन को→ आदेश → स्थापना आचरण नियामवली के शीर्षक के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु)